



नगर/शहर/जिला राज्य

--

पिन कोड

--	--	--	--	--	--

टेलिफोन नंबर।

--

वैकल्पिक टेलीफोन नंबर (टिप्पण 4 देखें)

--

ईमेल

--

वैकल्पिक (4 टिप्पण 4 देखें)

--

--

3. कर की कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति का विवरण:

(क) नाम

--

(ख) पता

--

प्लैट सं.

--

परिसर/भवन सड़क/गली/लेन क्षेत्र/स्थान का नाम

--

टाउन/शहर/जिला राज्य

--

पिन कोड

--	--	--	--	--	--

टेलीफोन नंबर।

--

वैकल्पिक टेलीफोन नंबर (टिप्पण 4 देखें)

--

ईमेल

--

वैकल्पिक ईमेल (टिप्पण 4 देखें)

--

मोबाइल नंबर।

--

4. कर की कटौती और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा के विवरण

क्र.सं.	कर	अधिभार	% <del>व्याज</del> स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर]	व्याज	फीस (टिप्पण 12 देखें)	शास्ति/अन्य	चालान/समायोजन के अनुसार जमा कुल राशि [302+303+304+305+306+307] (टिप्पण 6 देखें)	चालान (x)/समायोजन (ख) के माध्यम से टीडीएस जमा करने का रीति समायोजन (टिप्पण 7 देखें)	बीएसआर कोड/प्रपत्र नंबर की रसीद संख्या। 24छ (टिप्पण 8 देखें)	चालान क्रमांक/डीडी ओ क्रमांक नं. प्रपत्र 24छ (टिप्पण 8 देखें)	वह तारीख जब चालान के माध्यम से राशि जमा की गई/वाउचर अंतरण की तारीख माध्यम से जमा (टिप्पण 8 देखें)	चालान का लघु शीर्ष (टिप्पण 9 देखें)
[301]	[302]	[303]	[304]	[305]	[306]	[ 307]	[308]	[309]	[310]	[311]	[312]	[313]
1												
2												
3												

5. कर्मचारियों से भुगतान किए गए वेतन और उस पर कर कटौती का विवरण –

- (i) सुसंगत तिमाही के ब्यौरो वाले प्रत्येक विवरण के साथ उपाबंध I संलग्न करें;
- (ii) 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए अंतिम विवरण के साथ उपाबंध II संलग्न करें जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष का विवरण हो।
- (iii) 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए अंतिम विवरण के साथ उपाबंध III संलग्न करें जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष का विवरण हो।

**सत्यापन**

मैं, ....., इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही हैं और पूर्ण।

.....

स्थान : .....।

तारीख : .....।

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति के हस्ताक्षर  
स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति का नाम और पदनाम।

टिप्पणियाँ:

1. कृपया सरकारी कटौतीकर्ता या गैर-सरकारी कटौतीकर्ता का उल्लेख करें।
2. केंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग के नाम का उल्लेख करें। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य के नाम का उल्लेख करें।
3. वैकल्पिक टेलीफोन नंबर और वैकल्पिक ईमेल में, कृपया किसी व्यक्ति का टेलीफोन नंबर और ईमेल प्रस्तुत करें जो कटौतीकर्ता या कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की अनुपस्थिति में संपर्क किया जा सकता है।
4. टीडीएस विवरण देर से भरने के लिए धारा 234ड के अधीन भुगतान किया गया फीस 'फीस' (स्तंभ 306) के अलग स्तंभ में उल्लेखित
5. स्तंभ 308 में, सरकारी डीडीओ को पीएओ/टीओ/सीडीडीओ द्वारा प्रेषित टीडीएस की राशि का उल्लेख करना है। अन्य कटौतीकर्ता चालान के माध्यम से जमा किया गया टीडीएस की सही राशि लिखें।
6. स्तंभ 309 में, सरकारी कटौतीकर्ताओं को "ख" लिखना है जहां टीडीएस को समायोजन बही के माध्यम से केंद्रीय सरकार की जमा खाते में प्रेषित किया जाता है। अन्य कटौतीकर्ता ग " लिखें।
8. चालान/अंतरण वाउचर (सीआईएन/बिन) विवरण, अर्थात् 310, 311, 312 यथावत वैसा होना चाहिए जैसी कर सूचना नेटवर्क पर उपलब्ध है।
9. स्तंभ 313 में चालान पर अंकित लघु शर्ष का उल्लेख करें।

**उपाबंध-I: टीडीएस का कटौती करने वाले व्यक्ति वार ब्रेक अप**

**(कृपया प्रत्येक पंक्ति के लिए अलग उपाबंध का उपयोग करें-मुख्य प्रपत्र 24थ के क्रमांक 04 पर सारणी में मद)**

कर्मचारियों से भुगतान किए गए वेतन और उससे काटे गए कर का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड/फॉर्म संख्या की रसीद संख्या 24छ		
जिस तारीख को चालान जमा/हस्तांतरण वाउचर तारीख (दिन/माह/वर्ष)		
चालान क्रमांक/डीडी/प्रपत्र 24छ का क्रमांक		
चालान के अनुसार राशि		
कुल टीडीएस कटौती करने वालों के बीच आबंटित किया जाना है जैसा कि कॉलम के ऊर्ध्वाधर कुल में है। 326		
नीचे कटौती करने वालों के बीच आबंटित किया जाने वाला कुल ब्याज		

नियोजक का नाम		
टैन		

क्र.सं.	नियोजक/पीपीओ संख्या द्वारा प्रदान किया गया कर्मचारी संदर्भ संख्या, यदि उपलब्ध हो	कर्मचारी/निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का पैन	कर्मचारी/निर्दिष्ट का नाम	धारा कोड (टिप्पण 4 देखें)	भुगतान/क्रेडिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	कटौती की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	भुगतान की गई या जमा की गई राशि	कर	अधिभार%	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर]	कुल टीडीएस स्तंभ 322, 232, 324 का कुल योग	कुल टीडीएस जमा रु.	जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	गैर-कटौती/कम कटौती/उच्च कटौती का कारण [टिप्पण 1, 2 और 3 देखें]	निर्धारण अधिकारी द्वारा गैर-कटौती/कम कटौती के लिए जारी धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र की संख्या
[314]	[315]	[316]	[317]	[318]	[319]	[320]	[321]	[322]	[323]	[324]	[325]	[326]	[327]	[328]	[329]
1															
2															
3															
संपूर्ण															

कर्मचारियों से भुगतान किए गए वेतन और उससे काटे गए कर का विवरण

### सत्यापन

मैं, ....., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

स्थान : .....

तारीख : .....

स्रोत पर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति के हस्ताक्षर .....

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति का नाम और पदनाम .....

टिप्पणियाँ :

1. "क" लिखें यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 197 के अधीन कम दर पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसे मामलों में कर्मचारी का पैन अनिवार्य है।
2. यदि धारा 197 के अधीन कर की कटौती न करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है तो "ख" लिखें। ऐसे मामलों में कर्मचारी का पैन अनिवार्य है।
3. यदि कटौतीकर्ता द्वारा पैन प्रस्तुत न करने के कारण उच्च दर पर कटौती की जा रही है तो "ग" लिखें।
4. धारा कोड की सूची इस प्रकार है

धारा	संदान की प्रकृति	धारा कोड
192	संघ सरकार के कर्मचारियों से भिन्न सरकारी कर्मचारियों को भुगतान	क92
192	सरकारी कर्मचारियों से भिन्न अन्य कर्मचारियों को भुगतान	ख92
192	भारत सरकार के कर्मचारियों को भुगतान	ग95
त194	निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को भुगतान	त94

1[उपाबंध									
वित्तीय वर्ष .....के दौरान संदत्त या जमा किए गए वेतन और शुद्ध संदेय कर के ब्यौरे(धारा 192 के अधीन )									
क्रम संख्यांक.	कर्मचारी का स्थायी खाता संख्यांक.	कर्मचारी का नाम	क्या धारा 115खकग के अतिरिक्त कराधान का विकल्प चुना है? [हां/नहीं ]	कटौती किए गए व्यक्ति के प्रकार (ज्येष्ठ नागरिक, अति ज्येष्ठ नागरिक, अन्य)	तारीख से तारीख तक जिससे चालू वित्तीय वर्ष में वर्तमान नियोजक के साथ नियोजित है (दिन/मास/वर्ष)	(क) धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सकल वेतन .	(ख) धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार, जहां भी लागू हो)	(ग) धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में प्ररूप सं. 12खक के अनुसार, जहां भी लागू हो).	वर्तमान नियोजक से प्राप्त सकल वेतन की कुल रकम (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पण 1 देखें)
(330)	(331)	(332क)	(332ख)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)

अन्य नियोजक (ओं) से प्राप्त वेतन की कुल रकम सूचित (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पणी 1 देखें)	धारा 10(5) के अधीन यात्रा रियायत अथवा सहायता	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपदान	धारा 10(10क) के अधीन संराशित पेंशन मूल्य	धारा 10(10कक) के अधीन छुट्टी वेतन भुनाने के समतुल्य नकद	धारा 10(13क) के अधीन मकान किराया भत्ता	भूस्वामी का पैना यदि छूट का दावा धारा 10(13क) के अधीन किया गया है (टिप्पणी 3 देखें).	धारा 10(14) के अधीन अन्य विशेष भत्ते	धारा 10 के अधीन कोई अन्य छूट की रकम	धारा 10(340+341+342+343+344+346क+346ख) के अधीन छूट के दावों की रकम	धारा 16(िक) के अधीन कुल कटौती
(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346क)	(346ख)	(347)	(348)

धारा 16(ii) के अधीन कुल कटौती	धारा 16(iii) के अधीन कुल कटौती	"वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [338+339-(347+348+ 349+350)].	धारा 192(2ख) के अनुसार टीडीएस के लिए प्रस्तावित कर्मचारी द्वारा सूचित मकान की संपत्ति से (स्वीकार्य हानि) आय	ऋणदाता का पैना यदि , धारा 24(ख) के कर्मचारी आवासीय ऋण पर व्याज का दावा किया है। (टिप्पण 4 देखें) .	धारा 192(2ख) के अनुसार अन्य खोतों से आय शीर्ष पर टीडीएस प्रस्तावित है।	सकल कुल आय (351+352+ 354).	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि आदि में अंशदान के संबंध में कटौती		धारा 80गग के अधीन कतिपय पेंशन निधि में अंशदान के संबंध में कटौती		धारा 80गगघ (1) के अधीन करदाता द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती	
							सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम
(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)

धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में जमा/भुगतान की गई रकम के संबंध में कटौती	धारा 80गगघ (2) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती	धारा 80गगज के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अग्रिमपथ योजना में अंशदान के संबंध में कटौती	धारा 80गगज के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अग्रिमपथ योजना में अंशदान के संबंध में कटौती	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती.	धारा 80ड. के अधीन उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर व्याज के संबंध में कटौती	धारा 80छ अधीन कतिपय निधि, धर्मार्थ संस्थाओं में सदान के संबंध में कुल कटौतियां	धारा 80ननक के अधीन वचत खाते में जमा पर व्याज के संबंध में कटौती	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध(ओं)के अधीन कटौती योग्य रकम	अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का कुल [357+359+361(रू.1,50,000 तक) +363 +364ख +365ख +366ख+ 367ख +369 +372 +375 +378].												
सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	अर्हक योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	अर्हक योग्य रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	अर्हक योग्य रकम	कटौती योग्य रकम
(362)	(363)	(364क)	(364ख)	(365क)	(365ख)	(366क)	(366ख)	(367क)	(367ख)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)

कुल कराधेय आय (355-379).	कुल आय पर आयकर	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो	अधिभार जहां कहीं लागू हो	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जहां वेतन आदि बकाया या अग्रिम के रूप में संदत्त किया जाता है	कुल कर दायित्व [381+383+384- (382+385)].	सम्पूर्ण वर्ष के लिए वर्तमान नियोजक द्वारा स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम [प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सभी तिमाहियों के लिए उपाबंध 1 के स्तंभ 325 में रकम का योग]	अन्य नियोजक (कों) या कटौतीकर्ता (ओं) द्वारा स्रोत पर कर कटौती की रिपोर्ट की गई रकम (स्तंभ 339 में कुल कराधेय आय की संगणना में, जिसके संबंध में आय)	सम्पूर्ण वर्ष के लिए स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम (387+388).	कर कटौती में कमी (+) या आधिक्य कर कटौती (-) (386-389).
(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)

### टिप्पण:

1. वेतन के अन्तर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपदान (धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न), फीस, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) के अधीन जमा रकम का पुनः संदाय, परिलब्धियां, किसी वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त लाभ जिसके अन्तर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में किए गए संदाय भी हैं, वेतन का अग्रिम, उपयोग नहीं की गई किसी अवधि की छूट्टी के संबंध में प्राप्त कोई संदाय (धारा 10 (10कक) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसार कर से प्रभार्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में खाते के बकाया में कोई वार्षिक अभिवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (4) के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय समझी गई कोई राशियां, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अंशदान या 'वेतन' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य कोई अन्य राशियां शामिल है।

2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त उपलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को उस कर्मचारी के कोई अभिदाय उसके निमित्त संदत्त करता है, ऐसी सभी कटौतियां या संदाय विवरण में सम्मिलित होंगे ।
3. भू-स्वामी का स्थायी लेखा संख्याक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है ।
4. उधार देने वाले का स्थायी लेखा संख्यांक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां गृह ऋण, जिसपर ब्याज संदत्त किया जाता है, वित्तीय संस्था या नियोजक से भिन्न किसी व्यक्ति से लिया जाता है । ]

**उपाबंध 3**

वित्तीय वर्ष ..... के दौरान संदत्त या जमा की गई पेंशन और ब्याज आय तथा कराधेय कुल कर के ब्यौरे (धारा 194त क अधीन)

क्रम सं.	विनिर्दिष्ट ज्येष्ठ नागरिक का स्थायी लेखा संख्यांक/आधार	विनिर्दिष्ट ज्येष्ठ नागरिक का नाम	कटौती करवाने वाले का प्रकार (ज्येष्ठ नागरिक/अत्यन्त ज्येष्ठ नागरिक)	115खकग (1क) के अधीन कराधान के अलावा विकल्प चुना है [हां/नहीं]	धारा 17(1) के खंड (ii) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कुल पेंशन	धारा 16 के अधीन कटौती			'वेतन' शीर्ष के अधीन आय	विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा संदत्त अन्य स्रोतों के अधीन ब्याज आय	सकल कुल आय
						धारा 16(iक) अधीन मानक कटौती	नियोजन पर कर (16(iii))	योग			
(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399) = (397) + (398)	(400) = (396) - (398)	(401)	(402) = (400) + (401)

धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदायों आदि के संबंध में कटौती		धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेंशन निधियों में अभिदाय के संबंध में कटौती		धारा 80गगघ(1) के अधीन पेंशन स्कीम में करदाता द्वारा अभिदाय के संबंध में कटौती		धारा 80ग, धारा 80गगघ (1) के अधीन कुल कटौती [1,50,000रु अधिक नहीं]		धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम में संदत्त, जमा रकम के संबंध में कटौतियां		धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		धारा 80ड के अधीन उच्चतर शिक्षा के लिए लिए गए ऋण के संबंध में कटौती		धारा 80छ के अधीन कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को संदानों के संबंध में कटौती			धारा 80ननख के अधीन बचत खाते में जमाओं पर ब्याज के संबंध में कटौती		
कुल रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम		
(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	

1. आय-कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा 1.7.2023 से "क्या धारा 115 खकग के अधीन कराधान था विकल्प चुना है [हाँ/नहीं]" शब्दों और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य रकम				अध्याय 6-क के अधीन कटौती योग्य रकम योग	कुल कराधेय आय	कुल आय पर कर	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो	अधिभार, जहां कहीं लागू हो	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	संदेय कर	धारा 89के अधीन अनुतोष	कुल संदेय कर
धारा कोड (टिप्पण 1 देखें)	कुल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम									
(422)	(423)	(424)	(425)	(426)=(409)+(411)+(413)+(415)+(418)+(421)+(425)	(427)=(402)-(426)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432) = (428) + (430) + (431)-(429)	(433)	(434)

टिप्पण:

1. धारा कोड:

क्र.सं.	धारा	विशिष्टियां	धारा कोड
1	50घघ	अनुरक्षण के संबंध में कटौती जिसके अन्तर्गत आश्रित का चिकित्सा उपचार भी है, जो दिव्यांग व्यक्ति है	घघ
2	80डड	आवासीय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती	डड
3	80डडक	कतिपय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80डड के अन्तर्गत नहीं आने वाली)	डडक
4	80छछ	संदत्त किरायों के संबंध में कटौती	छछ
5	80छछग	राजनीतिक दलों को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए अभिदानों के संबंध में कटौती	छछग
6	80प	दिव्यांग व्यक्ति के मामले में कटौती	त।।

1. आय-कर (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा 2.9.2021 से प्रतिस्थापित।